



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066

www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या मा.सं.प्र./ सूचना का अधिकार/ 579/2010 दिनांक 1/4/2011
4651

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री/श्रीमती संजू डैनियल द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 16/3/11 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

“जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-”

- जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा
- जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी माग को, जैसा उचित समझे, उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एवं आवेदन कर्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

क्र.मं 242व24
A to F

आवेदन की फोटोकापी


पत्र संख्या 16/3/11

दिनांक _____ के साथ

संलग्न है

जो सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों/ _____ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित एवं उपलब्ध हैं। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ। कृपया आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्डिक उपबन्ध है।

कृपया इसे अति तत्काल समझे।


(आर.के. कुकरजा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

1. क्षेत्र के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी _____।
2. सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वैंब प्रशासक, एन.डी.सी., इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 16/3/11 का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाईट पर डालने के लिए।
3. श्री/श्रीमति _____।

_____।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

S.No-1(R)

From

Saju Daniel
Saju Mandiram
Naduthery, Thalavoor P.O
Kunnicothu (Via), Kollam District
KERALA, PIN 691514

To

Shri R.K.Kukreja, RPFC I
Head Office
Bhavishya Nidhi Bhawan,
14, Bhikaiji Cama Place
New Delhi-66

Sub:- Right to Information Act, 2005

Respected Sir,

I submit that the following information may be provided to me as I am requesting this information under RTI Act 2005. The following questions are related to EO/AO departmental exam 2009.

- Is there any inter regional transferee SSA/Sr.SSA/DEO/Hindi Transiator/SS presently working in any region who joined in that region after 01.01.2004?
- Whether any of these inter regional transferees applied for the EO/AO Departmental Exam., 2009 conducted during 7th December 2009 to 11th December 2009?
- Whether any application of these inter regional transferees has been rejected?
- If yes, the reason of rejection, name of such candidates, their date of joining in the region, designation, etc may be provided.
- If no, name of such candidates, their date of joining in the region, designation, etc may be provided.
- If any of them passed the EO/AO dept. exam. 2009, name of such candidates, their date of posting as EO/AO, place of posting as AO/EO may be provided.

Postal order (No. ^{68E}~~928546~~) for Rs.10/- enclosed as fee and postal order (No. ^{68E}~~838587~~) for Rs.10/- enclosed as other charges.

Yours faithfully,

~~20/3/11~~ 21/3/11
321
RTI


(SAJUDANIEL)

KOLLAM
16.03.11


18/3
21/3/11